

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 08/2026 बसनवानी जगराम सैनी बनाम उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर
पुत्र रामलाल सैनी निवासी सेमीपुरा ढाणी मलारना डूंगर

GCMS No-2026/8

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज

तारीख हुकम

4.2.2026

पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्त नियत दिनांक को उपस्थित नहीं हुआ। अपीलान्त द्वारा सूचना चाहने बाबत दिनांक 10.11.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर " उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर के पत्रांक/आरटीआई/2025/464 दिनांक 17.10.2025 की पालना मे विकास अधिकारी एवं तहसीलदार मलारना डूंगर से प्राप्त रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति " उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया।

लोक सूचना अधिकारी एवं उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक: आरटीआई/2026/725 दिनांक 23.1.2026 का अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2025 मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के पत्रांक/आरटीआई/2026/547 दिनांक 12.11.2026 द्वारा अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है,कि अपीलान्त द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 10.11.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना उपजिला कलेक्टर मलारना डूंगर के पत्रांक 547 दिनांक 12.11.2025 के द्वारा अपीलान्त को भिजवायी जा चुकी है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्त खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर